

बिहार सरकार,
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना
E-mail: sipbbihar16@gmail.com, Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

सं. सं०-एस03आई0पी0बी0201700391.....
शेष में.

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय- मेसर्स भगवती मेटलॉइज प्रा० लि०, पटना द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा, पटना में 960 एवं 600 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का ग्रे-ऑक्साइड की ईकाई के स्थापना प्रथम क्रिस्त ब्याज अनुदान एवं निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी की प्रतिपूर्ति के रूप में कुल ₹० 15,17,031/- (मात्र पन्द्रह लाख सतरह हजार एकतीस रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स भगवती मेटलॉइज प्रा० लि०, पटना द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा, पटना में 960 एवं 600 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का ग्रे-ऑक्साइड की ईकाई के स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट की बैठक दिनांक 07.06.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 26.03.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 (2) (i) में निहित प्रावधान के अलाोक में प्रस्ताव में राक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई सामान्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय के कार्यालय आदेश झापांक-SIPB201700391/1432, दिनांक 28.11.2018 के द्वारा श्री चमेश कुमार सिंह, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना द्वारा ईकाईयों का स्थल निरीक्षण कराया गया। जांच दलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 21.09.2018 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई की 22 सितम्बर, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक प्रथम क्रिस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल ₹० 18,481/- (मात्र अठारह हजार बाय सौ एकासी रूपए) एवं निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹० 14,98,550/- (षोडह लाख अठानवे हजार पाँच सौ पचास रूपए) अर्थात् कुल ₹० 15,17,031/- (मात्र पन्द्रह लाख सतरह हजार एकतीस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और राक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में कुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली न्यू-राजस्व के बकायों के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय सहन "राज्यदेश सं०-2080, दिनांक-11.06.16 एवं आवंटनदेश सं०-5/D1-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के अलाोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, मींग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोजेक्शन एवं पोस्ट प्रोजेक्शन बुधियाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2652801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सक्लिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की बजट में उपबंधित राशि से विकसनीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

5. इस सशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस सशि की निकासी नया सशिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस सशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० कार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस सशि का भुगतान भगवती मेटलॉइज प्रा० लि० को उनके यज्जाद नेशनल बैंक ईस्ट इंडिया प्रोन्साल रोड, पटना में खाता संख्या-3891008700002064, IFS Code-PUNB0389100 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यापाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार रिश)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी०२०१७००३९१.....

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सशिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी०२०१७००३९१.....

दिनांक-

प्रतिलिपि वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विश्वास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी०२०१७००३९१.....

1288

दिनांक—05.03.19

प्रतिलिपि— महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / टी० प्रमार्क, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स भगवती मेटलॉइज प्रा० लि०, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।